83

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3375—एक/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02—09—2014 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बाह, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 36/2013—14/अ—12/निगरानी

.....

1— जगदीश कुशवाह

2— धनीराम कुशवाह, पुत्रगण श्री ओछेलाल कुशवाह,
निवासीगण —ग्राम धोवाटी की मड़ैया(कछ पुरा)
तहसील अम्बाह, जिला—मुरैना म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रामसिंह पुत्र श्री बटूरी कुशवाह
निवासी—ग्राम धोवाटी की मड़ैया (कछ पुरा)
तहसील अम्बाह, जिला—मुरैना म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री हेमन्त सिह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बरबार सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी, न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बाह—मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/2013—14/अ—12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02—09—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि अनावेदक ने सीमांकन हेतु आवेदन कलेक्टर भू—अभिलेख, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीक्षक भू—अभिलेख शाखा—मुरैना के आदेश क्रमांक 1788/भू—अभि0/सीमां0/2014 दिनांक 02.08.2014 के पालन में सहायक अधीक्षक भू—अभिलेख मुरैना के द्वारा मौजा कमतरी पर अम्बाह के सर्वे क्र0 3510, 3514, 3514 एवं 3679 का सीमांकन

कार्यवाही पूर्ण मानकर प्रकरण समाप्त किया । जिसे नायब तहसीलदार अम्बाह द्वारा सीमांकन कार्यवाही पूर्ण मानकर प्रकरण समाप्त किये जाने का आदेश पारित दिया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि वर्तमान आवेदन सहायक भू–अभिलेख के द्वारा किये गये सीमांकन एवं प्रतिवेदन को अधीनस्थ तहसील न्यायालय के द्वारा स्वीकार किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । प्रकरण में मौजा कमतरी पर0 अम्बाह के सर्वे क्र0 3510, 3514, 3515 एवं 3679 के सीमांकन की कार्यवाही सहायक अधीक्षक के द्वारा की गई है । सीमांकन कार्यवाही अनियमितता पूर्ण होकर निर्धारित प्रक्रिया विधि एवं नियमों के प्रतिकूल की जा कर प्रतिवेदन दिया गया है । उक्त प्रतिवेदन एवं पुनरीक्षण के सम्बध में निम्न बिन्दु विचारणीय है । सीमांकन की कार्यवाही जिस मानचित्र के आधाार पर की गई है वह अपूर्ण है, जो ग्राम कमतरी का मानचित्र जिसके आधार पर सीमांकन कार्यवाही की गई है, वह किस बन्दोबस्ती, साल, सम्बत का है अंकित नहीं है । मानचित्र में कोई पैमाना अंकित नहीं है ऐसे मानचित्र के आधार पर की गई सीमांकन कार्यवाही विधि के विपरीत है । सीमांकन कार्यवाही में नाप हेतु किस पैमाने का प्रयोग किया गया है इसका कोई उल्लेख पंचनामा एवं प्रतिवेदन में नहीं है । मानचित्र में निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर जो नाप की है उसका कोई पैमाना अंकित नहीं है, जो नाम अंकित है वह कड़ी, जरीब में है या फुट, इंच में है उसका कोई उल्लेख पंचनामें एवं प्रतिवेदन में नहीं है । उन्होंने लिखित तर्क में यह भी बताया की सीमांकन की कार्यवाही किये जाने से पूर्व सीमांकित सर्वे क्रमांकों के सहभूमिस्वामी, समीपी एवं लगे हुये सर्वे क्रमांकों के कृषकों एवं हितधारी व्यक्तियों को कोई सूचना–पत्र नहीं दिये गये और न ही ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति एवं समक्ष में कोई कार्यवाही की गई है । समस्त कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अनावेदक एवं उसके हितैषी व्यक्तियों की उपस्थिति में की गई है जो दोषपूर्ण है । सहायक अधीक्षक द्वारा अनाधिकार कब्जा दिये जाने की भी रसीद प्रस्तुत की है । उक्त रसीद के द्वारा कब्जा कहां एवं क्यों दिया गया इसका उल्लेख पंचनामा रसीद में नहीं है । कब्जा रसीद विधि नियमों के प्रतिकूल होकर अनाधिकार है । कब्जा देने का अधिकार सीमांकनकर्ता को नहीं था । कब्जा दिये जाने के सम्बंध में सीमांकन पश्चात ही विधि अनुसार कार्यवाही करने का प्रावधान है । इस प्रकार सीमांकन की जो कार्यवाही की गई है वह विधि नियमों के एवं प्रक्रिया की अवहेलना करते हुये मनमाने रूप से अनियमितता पूर्ण की गई है । जिसके संबंध में निम्न न्याय दृष्टांत अवलोकनार्थ है– आर.एन. 1998 पेज नं. 106, सैधवा क्लब तथा एक अन्य बनाम म0प्र0राज्य तथा अन्य, आर.एन. 2006 पेज नं0 218, गजराजसिंह बनाम रामसिंह तथा अन्य । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 2510, 3514, 3515, 3679 ग्राम कमतरी पटवारी हल्का नं0 28 तहसील अम्बाह, जिला–मुरैना में है । उक्त भूमि के सम्बंध में अनावेदक के द्वारा सीमांकन की कार्यवाही कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर से कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा मुरैना के द्वारा टीम गठित कर मेड़िया कृषकों को सूचना देकर दिनांक 21.08.2014 को सीमांकन कार्यवाही की गई है । सीमांकन के समय गठित दल के द्वारा विवादित भूमि का विधिवत सीमांकन कर तथा मेड़िया कृषकों को उपरोक्त वर्णित सर्वे नम्बरानों की सीमांकन कर सीमायें समझाई गई थी और मौके पर मुडियाये भी सीमा चिन्ह के सम्बंध में निशानात भी लगवाये गये थे तथा मौके पर फील्ड बुक बनाकर पंचनामें पर सभी के हस्ताक्षर कराये गये थे । उन्होंने लिखित तर्क में यह भी बताया कि आवेदक जगदीश, धनीराम एवं अन्य ने अनावेदक एवं अन्य के विरूद्ध प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अम्बाह जिला–मुरैना समक्ष वाद वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था, जसमें भी आवेदक धनीराम आदि के द्वारा उक्त सीमांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी । जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा जगदीश आदि के आवेदन पर अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. का दिनांक 25.03.2015 को आदेश पारित कर जगदीश आदि का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति ना होना मानकर जगदीश आदि का स्थंगन आवेदन निरस्त कर दिया । आवेदक अगर उक्त सीमांकन कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो वह पुनः सीमांकन कार्यवाही कराने के लिये विधि अनुसार स्वंत्रत है । उसके लिये आवेदक को विधि के प्रावधानों के अनुसार काग्रवाही करना चाहिये थी, जो नहीं कि गई और न ही आवेदकगण के द्वारा उक्त सीमांकन कार्यवाही के समय कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है । जैसा कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अध्याय 10 उल्लेखित किया गया है । इस कारण से आवेदकगण की पुनरीक्षण याचिका विधि सम्मत ना होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः निगरानी निरस्त किया जावे ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा मुरैना के द्वारा टीम गठित कर मेड़िया कृषकों को सूचना देकर दिनांक 21.08.2014 को सीमांकन कार्यवाही की गई है । सीमांकन के समय गठित दल के द्वारा विवादित भूमि का विधिवत सीमांकन कर तथा मेड़िया कृषकों को उपरोक्त वर्णित सर्वे नम्बरानों की सीमांकन कर सीमायें समझाई गई थी और मौके पर मुडियाये भी सीमा चिन्ह के सम्बंध में निशानात भी लगवाये गये थे तथा मौके पर फील्ड बुक बनाकर पंचनामें पर सभी के हस्ताक्षर कराये गये थे । प्रकरण में सहायक अधीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की समस्त कार्यवाही अनियमिता

पूर्व होकर निर्धारित प्रक्रिया, विधि एवं नियमों के प्रतिकूल की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर प्रकरण समाप्त किया गया है।

6/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों का अवलोकन किया जिसमें आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा सीमांकन आदेश को विधि के विपरीत माना है। उनके द्वारा तर्क में यह बताया गया कि सीमांकन कार्यवाही में सीमांकन हेतु स्थायी बिन्दु कहॉ किसे मान किया गया, जिसके आधार पर नाम की गई, इसका उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है । सीमांकन की कार्यवाही किये जाने के पूर्व सहस्वामी, समीपी कृषक एवं हितधारी व्यक्तियों को कोई सूचना पत्र नहीं दिये गये और न ही ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति एवं समक्ष में कोई कार्यवाही की गई है, समस्त कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अनावेदक एवं उसके हितेषी व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से की गई है। आवेदक के अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अनावेदक ने सीमांकन हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर भू–अभिलेख, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीक्षक भू–अभिलेख शाखा–मुरैना के आदेश क्रमांक 1788/भू–अभि0/सीमां0/2014 दिनांक 02.08.2014 के पालन में सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख मुरैना के द्वारा मौजा कमतरी पर अम्बाह के सर्वे क्र0 3510, 3514, 3514 एवं 3679 का सीमांकन कार्यवाही पूर्ण मानकर प्रकरण समाप्त किया । जिसे नायब तहसीलदार अम्बाह द्वारा सीमांकन कार्यवाही पूर्ण मानकर प्रकरण समाप्त किये जाने का आदेश पारित दिया गया है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार के द्वारा पारित सीमांकन का आदेश दिनांक 02.09.2014 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । फलतः निगरानी खारिज की जाती है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0क0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर